सं0 सं0–टी–1/स्था0(4)राज0–93 / 2023..... /

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना

आदेश

श्री अजीत पटेल, प्रशिक्षणार्थी, व्यवसाय–मैकेनिक डीजल, सत्र–2025–26, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैमूर (भभुआ) द्वारा सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या–REF387961 दिनांक–16.06.2026 की जाँच निदेशालय स्तर से कराई गई। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संस्थान के प्रभारी प्राचार्य से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसकी सम्यक् समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत प्रभारी प्राचार्य को प्रशिक्षणार्थियों के साथ व्यवहार में मर्यादा, संयम एवं शालीनता बरतने हेतु भविष्य के लिए सचेत किया गया है। साथ ही वित्तीय पारदर्शिता एवं अनुशासन बनाए रखने हेतु निवारक उपाय के रूप में संस्थान के सूचना–पट्ट पर यह सूचना प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया है कि संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों से किसी भी मद में नकद अथवा UPI/डिजिटल माध्यम से व्यक्तिगत रुप से कोई राशि प्राप्त नहीं की जाती है।

प्रशिक्षणार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रभारी प्राचार्य को यह भी निदेशित किया गया है कि श्री अजीत पटेल एवं श्री विश्वजीत कुमार यदि प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), भारत सरकार के नियमानुसार पूरक परीक्षा हेतु निर्धारित पात्रता पूर्ण करते हों, तो उन्हें पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए तथा पात्रता पूर्ण नहीं होने की स्थिति में कारण सहित इसकी लिखित सूचना संबंधित प्रशिक्षणार्थी को दी जाए।

अतः उक्त शिकायत निष्पादित की जाती है।

13/5/26

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–टी–1/स्था0(4)राज0–93 / 2023 2039 / /पटना, दिनांक–14.10./2026

प्रतिलिपि– 1. श्री अजीत पटेल, पिता– श्री सच्चिदानंद सिंह, ग्राम–डिहरा, प्रखंड–भभुआ, जिला–कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

3. सहयोग पोर्टल के नोडल पदाधिकारी, निदेशालय को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

4. आई0 टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/5/26

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।